संख्या- 64 /2021 / 552 /चार-2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2021

विषय:- राजभवन के कलाकक्ष (संग्रहालय) का आन्तरिक सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार व अन्य कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1285/उ0प्र0सं0नि0-1(139)/2020-21 दिनांक 05 मार्च, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन के कलाकक्ष (संग्रहालय) का आन्तरिक सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार व अन्य कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 83.66 लाख के अनुसार कार्य किये जाने का निर्णय लेते हुए रू0 83.66 लाख की लागत मूल्यांकित की गयी ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजभवन के कलाकक्ष (संग्रहालय) का आन्तरिक सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार व अन्य कार्य हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 83.66 लाख की प्रशासकीय तथा धनराशि रू0 41.83 लाख (रूपये इक्तालिस लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 20.01.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय लखनऊ मद से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/ दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या - 64 /2021 / 552 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल उ0प्र0।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अधीक्षण अभियन्ता, 39वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।